प्रेस नोट ***दिनांक 20.04.2026***

अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 15019 /- (पन्द्रह हजार उन्नीस रुपये) रुपये थाना रामपुर साइबर पुलिस टीम द्वारा कराया गया वापस -

साइबर अपराध के माध्यम से ठगी गई धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के परिप्रेक्ष्य से चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ महोदय के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के महोदय तथा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना रामपुर जनपद मऊ के टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुये यूपीआई के माध्यम से अंजान व्यक्ति द्वारा फ्रॉड किये गये 15019 /- (पन्द्रह हजार उन्नीस रुपये) पीड़िता उषा देवी पत्नी सियाराम चौहान निवासी धनेवा थाना रामपुर जनपद मऊ की कुल 15019 रूपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चधिकारियों व साइबर क्राइम पुलिस थाना रामपुर के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया ।साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

दहेज हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध /अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किशु राजपूत के कुशल तथा थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 20.04.2026 को दहेज हत्या के मुख्य आरोपी को नियमानुसार बड़ी रहजनियां थाना कोतवाली नगर मऊ से गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण – उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.04.2026 को वादी श्री सन्तोष चौहान पुत्र स्व0 रामचरन चौहान निवासी मुहल्ला दशई पोखरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा खुद की लड़की श्वेता चौहान के साथ उसके पति तथा जेठ व जेठानी के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा प्रताड़ना से तंग कर खुद की लड़की श्वेता चौहान उम्र 24 वर्ष द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में प्रा0पत्र दिया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 55/2026 धारा 80(2)/85 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 20.04.2026 को नियामानुसार की सूचना पर अभियोग के मुख्य आरोपी पति महावीर चौहान पुत्र स्व0 सुखनंदन चौहान सा0 बड़ी रहजनियां थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ को घर बड़ी रहजनिया से गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. महावीर चौहान पुत्र स्व0 सुखनंदन चौहान सा0 बड़ी रहजनियां थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 55/2026 धारा 80(2)/85 बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ

आत्महत्या से संबंधित मामले में 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर सिंह के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी मधुबन मऊ श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.04.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नियामानुसार **हलधरपुर हाल्ट के पास बने डीह बाबा मन्दिर के पीछे** से मु0अ0सं0 33/26 धारा 108 बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण 1.सुरेन्द्र प्रसाद गोंड़ पुत्र स्व0 धर्मू गोंड़, 2.विनय कुमार गोंड़ पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद गोंड़, 3.विक्की गोंड़ उर्फ दीपू पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद गोंड निवासीगण हलधरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण –

1. सुरेन्द्र प्रसाद गोंड़ पुत्र स्व0 धर्मू गोंड़ निवासी हलधरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 60 वर्ष
2. विनय कुमार गोंड़ पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद गोंड़ निवासी हलधरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 24 वर्ष
3. विक्की गोंड़ उर्फ दीपू पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद गोंड निवासी हलधरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0सं0 33/26 धारा 108 बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 20.04.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 43 टीम गठित कर जनपद के 48 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1500 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 266 वाहनों को विभिन्न धारोओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा

यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।